रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 266] नई दिल्ली, शनिवार, मई 27, 1972/ज्येष्ठ 6, 1894

No. 266] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 27, 1972/JYAISTHA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May 1972

S.O. 379(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendment shall be made in its notification No. 100/MP-HP/1/72(3), dated the 5th May, 1972, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3(ii), dated the 5th May, 1972 namely:—

for the figures, letters and word "7-30 A.M. to 4-30 P.M." the figures, letters and word, "7-30 A.M. to 5-30 P.M." shall be *substituted*.

[No. 100/MP-HP/1/72(3).]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 1972

एस० ओ० 379 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3(ii), तारीख 5 मई, 1972 में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना सं० 100/म० प्र० लो० स०/1/72 (3), तारीख 5 मई, 1972 में निम्नलिखित संशोधन किया जायगा :—

"7–30 पूर्वाह्न से 4–30 अपराह्न" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "7–30 पूर्वाह्न से 5–30 अपराह्न", अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

[सं० 100/म० प्र०–लो० स०/1/72 (3)]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन,

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972